# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस**

प्रकरण संख्याः 139/2019/दावा 136 एलआरएक्ट

1. रामगोपाल पुत्र नारायण लाल जाति जाट निवासी ग्राम मुवालों की ढाणी वार्ड नं0 01 काबरियावास तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—वादी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रतिवादी

## दावा बाबत उद्‌घोषणा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रिकॉर्ड संशोधन अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति—

1. श्री भवानीसिंह शेखावत, वकील वादी की ओर सें।

निर्णय — दिनांक — 04.12.2019

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1432, 1433, 1434 किता 3 कुल रकबा 4.17 है0, ख0नं0 1450, 1454 किता 2 कुल रकबा 5.92 है0, ख0नं0 1401, 1402, 1416, 1417, 1418, 1419, 1427 किता 7 कुल रकबा 9.84 है0, ख0नं0 1455, 1456 किता 2 कुल रकबा 1.56 है0, ख0नं0 1473, 1474 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0, ख0नं0 1457 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1457/2435, 1458 ता 1462, 1469, 1470, 1472 किता 9 कुल रकबा 5.35 है0, ख0नं0 1463, 1466, 1468, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481 किता 10 कुल रकबा 5.42 है0 वाके ग्राम काबरियावास पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ व भूमि ख0नं0 1496, 1497 किता 2 कुल रकबा 3.29 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में वादी का हिस्सा क्रमशः 1/25, 1/50, 1/50, 1/50, 1/50, 1/50, 1/50, 1/50, 1/25 व 1/4 कब्जे, काश्त व खातेदारीशुदा है। उक्त भूमियों में वादी का नाम गोपाल पुत्र नारायण दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रामगोपाल पुत्र नारायण है। वादी के अन्य सभी दस्तावेजों आधारकार्ड, राशनकार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड में नाम रामगोपाल दर्ज है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलत रूप सें

[signature] उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

गोपाल दर्ज हो गया है एवं दुरूस्त होने योग्य हैं। अतः दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। वादकारण वादी को राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त दुरूस्ती किये जाने सें इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप सें जारी है। अतः दावा बाबत उद्धोषणा अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व रिकोर्ड संशोधन अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर वादी का नाम गोपाल पुत्र नारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नारायण राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर गोपाल पुत्र नारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नारायण दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार " आधार वर्ष सम्वत 2051 में वादी का नाम गोपाल पुत्र नारायण दर्ज है तथा उक्त भूमियों में वादी का नाम आज दिनांक तक की जमाबन्दी में गोपाल पुत्र नारायण ही चला आ रहा है जबकि वादी के आधार कार्ड, मतदाता महचान पत्र, राशनकार्ड आदि दस्तावेजों में वादी का नाम रामगोपाल पुत्र नारायण लाल दर्ज है । कार्याल्य ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण–पत्र में गोपल पुत्र नारायण व रामगोपाल पुत्र नारायण लाल दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है । अतः रिपोर्ट तहसीलदार व संलग्न साक्ष्यों के आधार पर गोपाल पुत्र नारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नारायण लाल की अभिशंषा सहित रिपोर्ट प्रेषित है।" वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1432, 1433, 1434 किता 3 कुल रकबा 4.17 है0, ख0नं0 1450, 1454 किता 2 कुल रकबा 5.92 है0, ख0नं0 1401, 1402, 1416, 1417, 1418, 1419, 1427 किता 7 कुल रकबा 9.84 है0, ख0नं0 1455, 1456 किता 2 कुल रकबा 1.56 है0, ख0नं0 1473, 1474 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0, ख0नं0 1457 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1457/2435, 1458 ता 1462, 1469, 1470, 1472 किता 9 कुल रकबा 5.35 है0, ख0नं0 1463, 1466, 1468, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481 किता 10 कुल रकबा 5.42 है0 वाके ग्राम काबरियावास**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ व भूमि ख0नं0 1496, 1497 किता 2 कुल रकबा 3.29 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम गोपाल पुत्र नारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नारायण लाल जाति जाट सा0देह खातेदार दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे। डिक्री जारी हो। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 04.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

# अंतिम डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6-7, जाब्ता दीवानी)

( Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

रामगोपाल बना[redacted]

[redacted] बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड संशोधन

मुकदमा नं0 139/दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 04.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री भवानी सिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, तहसीलदार दातारामगढ की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिकी इस प्रकार जारी की जाती है कि भूमि खसरा नम्बर 1432, 1433, 1434 किता 3 कुल रकबा 4.17 है0, ख0नं0 1450, 1454 किता 2 कुल रकबा 5.92 है0, ख0नं0 1401, 1402, 1416, 1417, 1418, 1419, 1427 किता 7 कुल रकबा 9.84 है0, ख0नं0 1455, 1456 किता 2 कुल रकबा 1.56 है0, ख0नं0 1473, 1474 किता 2 कुल रकबा 0.83 है0, ख0नं0 1457 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 1457/2435, 1458 ता 1462, 1469, 1470, 1472 किता 9 कुल रकबा 5.35 है0, ख0नं0 1463, 1466, 1468, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481 किता 10 कुल रकबा 5.42 है0 वाके ग्राम काबरियावास पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ व भूमि ख0नं0 1496, 1497 किता 2 कुल रकबा 3.29 है0, ख0नं0 1498 रकबा 0.88 है0 वाके ग्राम दांता पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में खातेदार वादी का नाम गोपाल पुत्र नारायण के स्थान पर रामगोपाल पुत्र नारायण लाल जाति जाट दर्ज करने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ............ मुबलिग .......... बाबत ............ खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ............ को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 04.12.2019 को जारी की गई।

मोहर दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा ... | 6 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | 00 | स्टाम्प अर्जी ... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत ... | – | – | मेहनताना वकील पर ... | | |
| मेहनताना वकील ... | – | – | खर्चा गवाहान ... | | |
| खर्चा गवाहान ... | – | – | फीस कमिश्नर ... | | |
| फीस कमिश्नर ... | – | – | बाबत इजराय हुक्मनामा ... | | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा ... | – | – | मुतफर्रिक ... | 0 | 00 |
| मुतफर्रिक ... | 8 | 00 | | 0 | 00 |
| मीजान | 15 | 00 | मीजान | 1 | 00 |

नोट इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner